उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ

परिपत्रांक सी-128 /लेखा/16–17 दिनांक 31.03.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश

कृपया प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या सी–115/लेखा–1/2016–17 दिनांक 27.02.2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शाखाओं में वेतन भुगतान की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक 28.02.2017 से 04.03.2017 तक की अवधि में वसूल की गई धनराशि को प्रधान कार्यालय न प्रेषित कर वेतन भुगतान में उपयोग किये जाने के निर्देश दिये गये है। दिनांक 06.03.2017 से परिपत्र संख्या–सी–108 /लेखा/2016–17 दिनांक 06.02.2017 के अनुसार वसूली की 50 प्रतिशत धनराशि प्रधान प्रेषित की जानी थी परन्तु प्रधान कार्यालय में प्राप्त दैनिक वसूली की समीक्षा में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि शाखाओं द्वारा उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप धनराशि प्रधान कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा रही है जिसके कारण बैंक के समक्ष अपने वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में कठिनाई हो गई है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक ऋणों की वसूली हेतु सघन अभियान चलाकर वसूली के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें एवं निर्धारित मानकों के अनुसार प्रधान कार्यालय को धनराशि प्रेषित करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

31.3.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जनपदीय /मण्डलीय पर्यवेक्षक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0–लखनऊ
2. समस्त अधिकारीगण,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय–लखनऊ।
3. प्राचार्य,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रशिक्षण केन्द्र ,लखनऊ।
4. प्रबंधक श्रेणी–2 (ITCell),प्रधान कार्यालय को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करने हेतु।

(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबंधक